



# रायपुर विकास प्राधिकरण

भक्त माताकर्मा व्यावसायिक परिसर, न्यू राजेन्द्रनगर रायपुर (छत्तीसगढ़) 492006

कमल विहार में आवासीय भूखंडों के लाटरी से भूखड आबंटन के नियम एवं शर्तें

दिनांक 01-04-2018 से दिनांक 25-04-2018 तक की अवधि के लिये लागु

आवेदन फार्म प्राधिकरण कार्यालय / छत्तीसगढ़ में स्थित सेन्ट्रल बैंक की शाखाओं में जमा  
किये जा सकेंगे।

क्रमांक .....

दिनांक .....

पासपोर्ट साईज  फोटो
---------------------------

आवेदक

का नाम .....

आवेदन पत्र का मूल्य 500/- (पाँच सौ रुपये) की राशि रसीद क्रं.....  
..... बुक क्रं .....

दिनांक .....द्वारा जमा किया गया।

मुहर

(अधिकारी के हस्ताक्षर)

## आवेदक द्वारा भरा जाना है

1. आवेदक/संस्था/फर्म/  
द्रस्ट/समिति का नाम .....  
.....  
.....
2. पिता/पति का नाम .....
3. आयु .....
4. आवेदक का पत्र व्यवहार का वर्तमान/स्थाई पता :—  
अ. निवास का वर्तमान पता .....  
.....  
ब. निवास का स्थाई पता .....  
.....  
स. दूरभाष/मोबाइल नं.  
ई-मेल आईडी .....  
.....

5. क्या आवेदक आरक्षण सुविधा का लाभ लेना चाहता है ? Yes / No

यदि हां तो उपयुक्त कॉलम में सही का निशान लगाए। आवेदक केवल एक श्रेणी में ही आरक्षण का लाभ ले सकता है अतः केवल एक कालम में ही सही का निशान लगायें।

1. अनुसूचित जाति / जनजाति के लिए	10%	<input type="checkbox"/>
2. पिछड़ा वर्ग के लिए	6%	<input type="checkbox"/>
3. शासकीय / शासन के उपकरण / स्थानीय संस्थाएं	2%	<input type="checkbox"/>
4. स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए	4%	<input type="checkbox"/>
5. सैनिकों एवं भूतपूर्व सैनिकों के लिए	2%	<input type="checkbox"/>
6. शारीरिक विकलांगों के लिए	1%	<input type="checkbox"/>
7. निराश्रित एवं साधनहीन विधवाओं के लिए	2%	<input type="checkbox"/>

टीप:- यदि आरक्षण का लाभ चाहते हैं तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वांछित प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

6.1 लीज-होल्ड या फी होल्ड

6.2 आवेदक द्वारा चाहे गए भूखंड के लिए निम्नानुसार प्रवृष्टियां की जावें

भूखण्ड चयन	तलिका में दर्शाये गये सरल क्रं.	आरक्षण श्रेणी	भूखण्ड क्रं.	सेक्टर क्रं.	क्षेत्रफल (वर्गफुट में)	हस्ताक्षर
प्रथम चयन						
द्वितीय चयन						
तृतीय चयन						

6.3 प्रथम विकल्प

द्वितीय विकल्प

मेरे द्वारा सभी नियम व शर्तों का अवलोकन कर लिया गया है तथा संलग्न नियम व शर्तों की कंडिका 16 के अनुसार चयनित विकल्प में निशान अंकित कर दिया गया है। सभी नियम व शर्तें मुझे स्वीकार हैं।

आवेदक का नाम — .....  
.....

28-Feb-2018

हस्ताक्षर — .....  
.....

7. पंजीयन राशि जमा करने का विवरण :—

अ. जमा की गई राशि

1.) फार्म शुल्क की राशि

<input type="text"/>							
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

2.) पंजीयन शुल्क की राशि

<input type="text"/>							
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

क्रं०	विवरण	आवेदक द्वारा भरा गया विवरण
1.	राशि (शब्दों में)	
2.	बैंक का नाम	
3.	शाखा	
4.	शहर	

ब. बैंक ड्राफ्ट/पे.आर्डर/बैंकर्स चेक का विवरण :—

क्रं०	विवरण	आवेदक द्वारा भरा गया विवरण
1.	जारी करने वाले बैंक का नाम	
2.	शाखा	
3.	शहर	
4.	दिनांक एवं क्रमांक	क्रमांक ..... दिनांक.....

स. NEFT /RTGS का विवरण जो कि आवेदक द्वारा जमा की जाये :—

क्रं०	विवरण	आवेदक द्वारा भरा गया विवरण
1.	भेजने वाले बैंक का नाम	
2.	शाखा	
3.	शहर	
4.	यूटी.आर नम्बर	
5.	आवेदक का पेन नं०	क्रमांक ..... दिनांक.....

द. आवेदक द्वारा NEFT/RTGS से धरोहर राशि एवं फार्म शुल्क जमा करने हेतु विवरण

क्रं०	विवरण	
1.	रायपुर विकास प्राधिकरण A/c No.	3314744477
2.	खाते का नाम	कमल विहार कलेक्षन एकाउंट
3.	बैंक का नाम	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सदर बाजार रायपुर (छत्तीसगढ़)
4.	IFSC	CBIN0281468
5.	MICR CODE	492016005
7.	SWIFT CODE	CBININBBBHI

8. असफल आवेदनकर्ता के लिये राशि रिफंड प्राप्त करने हेतु :-

क्रं०	विवरण	आवेदक द्वारा भरा गया विवरण
1.	आवेदनकर्ता के बैंक का नाम	
2.	शाखा	
3.	आवेदनकर्ता के बैंक का खाता क्रमांक	
4.	आवेदनकर्ता के बैंक का IFSC कोड	

(आवेदनकर्ता के हस्ताक्षर)

नाम.....

## बीस रूपये के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर पर जो नोटरी द्वारा अभिप्रमाणित हो

### घोषणा—पत्र

1. मैं प्रमाणित करता हूं /करती हूं कि मैंने आवेदन—पत्र में जो जानकारी दी है, वह सत्य है तथा मैंने बिन्दु क्रमांक 1 से 36 तक नियम एवं शर्तें पढ़ लिये हैं अथवा मुझे समझा दिये गये हैं। मुझे सभी नियम व शर्तें मान्य हैं, जिसका मेरे द्वारा पालन किया जाएगा। मेरे द्वारा कोई भी जानकारी छिपाई नहीं गई है। जानकारी असत्य पाए जाने पर मेरा आबंटन निरस्त किया जा सकता है एवं जमा की गई राशि राजसात की जा सकती है। इसके अलावा अभियोजन की कार्यवाही भी की जा सकेगी।
2. मैं वचन देता हूं कि मुझे भूखंड आबंटन होने की स्थिति में :
  - (अ) मैं भूखंड का केवल आवासीय उपयोग ही करूंगा ।
  - (ब) मैं प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किश्त एवं अन्य प्रभार जो समय—समय पर भारित होंगे, का नियमित रूप से भुगतान करूंगा ।
  - (स) मैं शासन/स्थानीय शासन द्वारा निर्धारित प्रभार/कर आदि का नियमित रूप से भुगतान करूंगा ।
  - (द) मैं भूखंड का किसी भी प्रकार से विभाजन कर अन्य को विक्रय नहीं करूंगा ।
3. प्राधिकरण एवं आवेदक के मध्य उत्पन्न किसी विवाद को पंच निर्णय हेतु सौंपा जाएगा और ऐसे विवाद का निपटारा अध्यक्ष, रायपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अथवा इस हेतु उनके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा किया जाएगा जिनका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा। अध्यक्ष द्वारा किसी व्यक्ति को पंच (आबिट्रेटर) नियुक्त किए जाने के संबंध में मुझे आपत्ति करने का अधिकार नहीं होगा, भले ही ऐसा आबिट्रेटर रायपुर विकास प्राधिकरण का कोई अधिकारी ही क्यों न हो ।

स्थान : .....

दिनांक .....

(आवेदनकर्ता के हस्ताक्षर)

नाम.....

नाम.....

पंजीयन राशि ..... बैंक ड्राफट/पे.आर्डर/बैंकर्स चेक .....

बैंक का नाम ..... क्रमांक..... दिनांक..... से  
जमा किया गया ।

(आवेदनकर्ता के हस्ताक्षर)

नाम.....



# रायपुर विकास प्राधिकरण

भक्त माताकर्मा व्यावसायिक परिसर, न्यू राजेन्द्रनगर रायपुर (छत्तीसगढ़) 492006

## आवासीय भूखंडों के लाटरी से भूखंड आबंटन के नियम एवं शर्तें

दिनांक 01-04-2018 से दिनांक 25-04-2018 तक की अवधि के लिये लागु भारतीय नागरिक,

भारतीय कम्पनी, पार्टनरशिप फर्म, ट्रस्ट, एसोसियेशन ऑफ परसन, एन.आर.आई,

1. अन्य कोई संस्था या व्यक्ति जो नियमानुसार आवासीय उपयोग हेतु प्लाट/भूखण्डखरीदने हेतु पात्र है, से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।
  2. पंजीयन हेतु आवेदन—पत्र रायपुर विकास प्राधिकरण कार्यालय, (न्यू राजेन्द्र नगर स्थित भक्त माता कर्मा परिसर के द्वितीय तल पर) रायपुर से रु. 500/- का नगद भुगतान करके प्राप्त किये जा सकते हैं आवेदन शुल्क की राशि वापसी योग्य नहीं है। आवेदन पत्र शनिवार से शुक्रवार सुबह 10.30 से शाम 3.00 बजे तक एवं शनिवार को दोपहर 1.00 बजे तक शासकीय अवकाश को छोड़कर प्राप्त किये जा सकेंगे। आवेदन फार्म का विक्रय निरंतर जारी रहेगा तथा प्रति बुधवार प्राप्त आवेदन पत्रों पर दोपहर 2.00 बजे लाटरी से आबंटन की कार्यवाही की जावेगी। प्रथम लॉटरी दिनांक 21.09.2017 को दोपहर 2.00 बजे की जावेगी।
  3. आवेदन के लिए निर्धारित की गई पंजीयन राशि मुख्य कार्यपालन अधिकारी, रायपुर विकास प्राधिकरण, एकाउण्ट सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया रायपुर के नाम पर देय बैंक ड्रॉफ्ट/पे—आर्डर/बैंकर्स चेक/NEFT/RTGS द्वारा स्वीकार की जावेगी। इस हेतु प्रत्येक भूखंड के लिए आवेदन पत्र के परिशिष्ट क्र. 1 में देय पंजीयन राशि दर्शायी गयी है। बिना पंजीयन राशि के आवेदन—पत्र स्वीकार नहीं किये जाएंगे।
- A. आवेदन—पत्र को रायपुर विकास प्राधिकरण की वेबसाईट [www.rdaraipur.com](http://www.rdaraipur.com) से भी डाउनलोड किया जा सकता है। ऐसे डाउनलोड किए गए सभी आवेदन पत्रों के साथ 500 रु. मूल्य का डिमांड ड्राफ्ट, जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी, रायपुर विकास प्राधिकरण A/C सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, रायपुर के नाम से देय हो, संलग्न करना आवश्यक होगा, साथ ही संबंधित दस्तावेजों एवं पंजीयन राशि का ड्राफ्ट भी संलग्न करना होगा।
- B. छत्तीसगढ़ स्थित सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया की समस्त शाखाओं से भी आवेदन पत्र निर्धारित शुल्क जमा कर प्राप्त किये जा सकते हैं। पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र मय दस्तावेजों एवं पंजीयन शुल्क सहित सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया की सभी शाखाओं में भी जमा किया जा सकता है।
- C. आवेदन पत्र शुल्क 500 रु. एवं पंजीयन राशि को NEFT/RTGS/BANK TRANSFER से भी जमा किया जा सकता है तथा रसीद की फोटोकापी आवेदन—पत्र के साथ लगाकर अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा।
4. संपूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन—पत्र, पंजीयन राशि के साथ प्राधिकरण कार्यालय में प्रति दिन संध्या 5.00 बजे तक जमा करायें जा सकते हैं। आवेदन—पत्र डाक द्वारा भी जमा कराये जा सकते हैं।
  5. प्रत्येक आवेदक अपनी पसन्द अनुसार 03 वैकल्पिक भूखंडों का चयन कर सकता है। सर्वप्रथम प्रथम चयनित भूखण्ड के लिये यदि एक से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं तो इस भूखण्ड के लिये हितग्राही का चयन लॉटरी से किया जायेगा यदि आवेदक को प्रथम चयनित भूखण्ड प्राप्त नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में उसका आवेदन द्वितीय चयनित भूखण्ड के रिक्त होने पर (किसी अन्य आवेदक द्वारा प्रथम चयनित भूखण्ड के रूप में ना होने कि स्थिति में रिक्त होने पर) द्वितीय लॉटरी में शामिल किया जायेगा। द्वितीय

चयनित भूखण्ड यदि रिक्त न हो तो आवेदक का आवेदन पत्र तृतीय चयनित भूखण्ड के रिक्त होने पर (किसी अन्य आवेदक द्वारा प्रथम/द्वितीय चयनित भूखण्ड के रूप में ना होने कि स्थिति में रिक्त होने पर) लॉटरी में शामिल किया जावेगा।

6. प्राप्त वैध आवेदनों पत्रों में से प्रत्येक भूखण्ड के लिये एक से अधिक प्राप्त आवेदन पत्रों पर कम्यूटरीकृत लॉटरी की कार्यवाही की जावेगी यदि किसी भूखण्ड के लिये केवल एक आवेदन पत्र प्राप्त होता है तो उसके लिये लॉटरी की आवश्यकता नहीं होगी। लाटरी प्रत्येक बुधवार को दोपहर 2.00 बजे कार्यालय परिसर के मिटिंग हॉल में की जावेगी। लाटरी हेतु आवेदन पत्र लाटरी दिवस के दिन दोपहर 12.00 बजे तक कार्यालय में प्राप्त हो जाना चाहिए इसके पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों को आगामी लाटरी दिवस की लाटरी में आवेदित भूखंड की उपलब्धता के अधार पर शामिल किया जावेगा।
7. एक आवेदन पत्र केवल एक भूखण्ड आबंटन के लिये मान्य होगा।
8. दो से अधिक भूखंड एक ही व्यक्ति/परिवार को विक्रय नहीं किये जायेंगे।
9. प्रत्येक आवेदन पत्र के साथ प्रथम चयनित भूखण्ड के लिये तालिका में दर्शायी गई धरोहर राशि बैंकर्सचेक/डी.डी./NEFT/RTGS/BANK TRANSFER द्वारा जमा करानी होगी। जमा की गई धरोहर राशि अन्य दोनों चयनित भूखण्डों के लिये भी मान्य होगी। धरोहर राशि का समायोजन आबंटन स्वीकृत होने पर किया जावेगा।
10. ऐसे आबंटिती जिन्हें पूर्व में लॉटरी द्वारा कमल विहार योजना के अंतर्गत छोटे आकार का भूखंड का आबंटन प्राप्त हो चुका हो और यदि वे बड़े आकार का भूखंड लेने के इच्छुक हो तो वे पंजीयन शुल्क के अंतर की राशि जमा कर लॉटरी में भाग ले सकते हैं। (ऐसे परिवर्तन तभी स्वीकार होंगे जब आवेदन पूर्व में आबंटित भूखंड से बड़े आकार के भूखंड के लिये प्रस्तुत किया जावेगा।)
11. भूखण्ड आबंटन के पश्चात् यदि आवेदक भूखण्ड नहीं लेना चाहेगा, तो उनके द्वारा जमा पंजीयन राशि वापसी योग्य नहीं होगी। पंजीयन राशि के अतिरिक्त यदि कोई किस्त जमा की गई हो तो वह राशि बिना ब्याज के वापस कर दी जावेगी।
12. आरक्षण व्यवस्था को आवासीय योजनाओं के लिए प्रचलित नियमों के अनुसार रखा गया है। तीन विज्ञापन प्रकाशन उपरांत यदि आरक्षित वर्ग के भूखण्ड का पंजीयन प्राप्त नहीं होता है, तो उन्हें अनारक्षित वर्ग में परिवर्तन कर दिया जावेगा।
13. (A) भूखंड की दर 2000 व.फु. से बड़े आकार के भूखण्डों के लिए पट्टे पर 1402/- प्रति वर्गफुट तथा फी होल्ड पर 1696/- प्रति वर्गफीट होगी।  
(B) भूखंड की दर 2000 व.फु. से छोटे आकार के भूखण्डों के लिए पट्टे पर 1472/- प्रति वर्गफुट तथा फी होल्ड पर 1781/- प्रति वर्गफीट होगी।  
विशेष शुल्क अतिरिक्त रूप से देय होंगे— कार्नर भूखण्ड 10%, 18 मीटर सड़क से लगा हुआ 2%, गार्डन फेसिंग 5%, कार्नर + गार्डन फेसिंग 13% परन्तु किसी भी दशा में 15% से अधिक नहीं होगा। उपरोक्त शुल्क की गणना आबंटित भूखण्ड के मूल प्रब्याजि पर की जावेगी।
14. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदनकर्ता भूखण्ड को पट्टे अथवा फी होल्ड में से किसी भी एक विकल्प का चयन कर सकता है। इस हेतु अपनी स्वीकृति आवेदन पत्र में स्पष्ट रूप से दर्शानी होगी ताकि चयन अनुसार भूखण्ड का आबंटन किया जा सके।
15. फी – होल्ड में भूखण्ड लिये जाने की स्थिति में निम्नानुसार अतिरिक्त राशि देय होगी :  
(अ) भूखण्ड मूल्य का 1 प्रतिशत सम्परिवर्तन शुल्क एवं  
(ब) भूखण्ड मूल्य का 2 प्रतिशत भू-भाटक 10 वर्षों हेतु।

पुनः स्पष्ट किया जाता है कि फ्री – होल्ड में भूखण्ड लेना ऐच्छिक है । यदि भूखण्ड का क्रय लीज होल्ड में किया जाता है तब 30 वर्षों तक भूखड़ की मूल प्रब्याजी राशि पर 2% भू-भाटक आबंटिती को नियमित भुगतान करना होगा । यह कि 30 वर्षों की अवधि पूरी होने पर लीज को पुनः नवीनीकरण किया जायेगा [शर्तें लागू] । लीज नवीनीकरण उपरांत भी भू-भाटक प्रत्येक वर्ष देना होगा ।

16. भूखंडो का आबंटन आदेश प्राप्त होने पर राशि जमा करने हेतु 02 विकल्प उपलब्ध होंगे । आवेदक को चयनित विकल्प का स्पष्ट उल्लेख सही के निशान द्वारा (✓) आवेदन फार्म की कंडिका 6.3 में अंकित करना होगा ।

**अ. प्रथम विकल्प** :— इस विकल्प में भूखण्ड आबंटन होने की तिथि से 60 दिन के भीतर पूर्ण राशि जमा कराये जाने पर निम्नानुसार छूट प्राप्त होगी :—

- |  |                |
|--|----------------|
| 1. 2000 वर्गफुट तक के आवासीय भूखण्ड पर         | — 02 प्रतिशत । |
| 2. 2001 से 3000 वर्गफुट तक के आवासीय भूखण्ड पर | — 10 प्रतिशत । |
| 3. 3001 से 5000 वर्गफुट तक के आवासीय भूखण्ड पर | — 12 प्रतिशत । |
| 4. 5001 से अधिक वर्गफुट के आवासीय भूखण्ड पर    | — 15 प्रतिशत । |

30 दिन के भीतर पूर्ण राशि जमा कराये जाने पर 0.75 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट दी जावेगी ।

**ब. द्वितीय विकल्प** :— इस विकल्प में भूखण्डों की दरों में किसी प्रकार की छूट नहीं होगी । इस विकल्प में भूखण्ड आबंटन होने पर किश्तों की राशि निम्नानुसार अवधि में जमा करनी होगी ।

- 1.) कुल राशि की 25 प्रतिशत राशि (प्रथम किश्त) आबंटन स्वीकृति सूचना तिथि से 03 माह में जमा करना होगा ।
- 2.) कुल राशि की 25 प्रतिशत राशि (द्वितीय किश्त) आबंटन स्वीकृति सूचना तिथि से 06 माह में जमा करना होगा ।
- 3.) कुल राशि की 25 प्रतिशत राशि (तृतीय किश्त) आबंटन स्वीकृति सूचना तिथि से 09 माह में जमा करना होगा ।
- 4.) शेष राशि (पंजीयन राशि के समायोजन पश्चात) एवं अन्य देय शुल्क, फ्री-होल्ड हेतु देय राशि (यदि आवेदकर्ता द्वारा फ्री-होल्ड कराया जा रहा है) सहित आबंटन स्वीकृति सूचना तिथि से 12 माह में जमा करना होगा ।

17. कंडिका क्रमांक (16) में उल्लेखित मांग पत्र के अनुसार निर्धारित समय पर राशि जमा नहीं करने पर आबंटन निरस्त कर पंजीयन राशि प्राधिकरण के पक्ष में राजसात कर ली जावेगी एवं शेष राशि बिना ब्याज के वापस कर दी जावेगी । आबंटन निरस्त किये जाने की स्थिति में प्राधिकरण को उपरोक्त भूखण्ड पुनः विक्रय किये जाने का पूर्ण अधिकार होगा । विशेष परिस्थितीयों में प्रकरण के गुण दोष के आधार पर 15 प्रतिशत सरचार्ज विलम्ब से भुगतान हेतु लिया जा सकेगा ।

18. आवेदन—पत्र के साथ आवश्यक प्रमाण पत्रों यथा आरक्षण प्रमाण पत्र एवं घोषणा पत्र को अनिवार्यतः संलग्न करना होगा । ऐसे व्यक्तियों को आवेदन करने की पात्रता नहीं होगी जिन्हे पूर्व में आबंटित भूखंडों की राशि वापस प्राप्त कर ली गई है अथवा उनके भूखंड प्राधिकरण द्वारा निरस्त किये गये हैं ।

19. भूखण्ड का सम्पूर्ण मूल्य जमा होने पर शासन के नियमानुसार आवेदक को स्वयं के व्यय पर विक्रय—विलेख, पट्टा विलेख अथवा फ्री-होल्ड विलेख का निष्पादन

कराना होगा एवं एक माह के भीतर पंजीयन कार्यालय में उसका पंजीयन करवाना अनिवार्य होगा ।

20. ऐसे पंजीयनकर्ता जो शासन या वित्तीय संस्था से भूखण्ड क्य करने हेतु ऋण प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें प्राधिकरण द्वारा निर्धारित प्रमाण पत्र प्रदाय किया जायेगा ।
21. जलकर, भूभाटक, व्यवस्थापन शुल्क नियमानुसार पृथक से देय होगा ।
22. प्राधिकरण को देय समस्त राशि भू-राजस्व की बकाया की तरह वसूली योग्य होगी ।
23. भूखंडो का लेआउट प्राधिकरण द्वारा तय किया जा चुका है । इसमें व्यक्तिगत अथवा सामूहिक आवेदन पत्रों के आधार पर परिवर्तन नहीं किया जावेगा एवं न ही कोई दावा मान्य होगा । आबंटित भूखंड का किसी प्रकार से विभाजन कर विक्रय करने की अनुमति नहीं होगी, परन्तु सक्षम अधिकारी से विधिवत निर्माण की अनुमति प्राप्त कर निर्मित संरचना को छ.ग. प्रकोष्ठ स्वामित्व अधिनियम, 1976 के तहत विक्रय किया जा सकेगा ।
24. पंजीयन का नामांतरण नहीं किया जावेगा तथापि मूल आवेदक की मृत्यु होने की दशा में उसके द्वारा नामांकित व्यक्ति के पक्ष में नामांतरण की अनुमति तभी दी जावेगी जब प्राधिकरण द्वारा निर्धारित सभी शर्तें पूर्ण करेंगे, अन्यथा जमा राशि बिना ब्याज के वापस कर दी जावेगी ।
25. पत्र व्यवहार हेतु आवेदक अपना पता एवं दूरभाष नंबर/ई-मेल आई.डी. स्पष्ट रूप से आवेदन फार्म में अंकित करें । अधूरे अथवा गलत पता दर्शाने के कारण सूचना नहीं मिलने की जवाबदारी प्राधिकरण की नहीं होगी । इस हेतु आवेदक स्वयं समय-समय पर कार्यालय में उपस्थित होकर जानकारी लेते रहे ।
26. पंजीयन स्वीकार करने मात्र से ही आबंटन के किसी अधिकार का सृजन नहीं होगा, आबंटन के संबंध में प्राधिकरण का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा ।
27. किसी भी आवेदन को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार अध्यक्ष, रायपुर विकास प्राधिकरण या उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी को रहेगा तथा इसके लिए कोई कारण नहीं बताया जायेगा ।
28. प्राधिकरण के अध्यक्ष को यह अधिकार होगा कि वे पंजीयन के तिथि में वृद्धि कर सके, अथवा पर्याप्त पंजीयन होने पर घोषित तिथि के पूर्व पंजीयन बंद कर देवें ।
29. ऐसी योजना/योजनाएं जिनमें पर्याप्त संख्या में पंजीयन प्राप्त नहीं होते हैं अथवा विवाद या अन्य कारण से योजना/योजनाएं ली जानी प्राधिकरण हित में नहीं होगा, उसे निरस्त करने हेतु प्राधिकरण स्वतंत्र होगा ।
30. उक्त योजनान्तर्गत रायपुर विकास प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर लागू किये गये नियम एवं शर्तें प्रभावशील रहेंगे ।
31. आबंटी को भूखण्ड आबंटन की शर्त, नियम, संकल्प, निर्देशों, आदेशों के अतिरिक्त समस्त शर्तों के साथ अनुबंध पत्र/विक्रय विलेख एवं लीज होल्ड/फ्री-होल्ड विलेख में उल्लेखित शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा, उल्लंघन किए जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी ।
32. आबंटी को छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973, भूमि विकास नियम व उसके अधीन शासन द्वारा समय-समय पर बनाये गए नियम, उपनियम, आदेश-निर्देश, संकल्प आदि का पालन करना अनिवार्य होगा ।

33. निविदा एवं पट्टे के नियम एवं शर्तों से उद्धृत किहीं विवादों के संबंध में अथवा उभय पक्ष के मध्य उत्पन्न किसी विवाद के संबंध में अध्यक्ष, रायपुर विकास प्राधिकरण के समक्ष पंच निर्णय (आर्बिट्रेशन) हेतु सौंपा जायेगा। ऐसे विवाद का निपटारा अध्यक्ष अथवा उनके द्वारा इस हेतु प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा किया जा सकेगा, जिसका निर्णय सभी पक्षों को मान्य होगा। निविदादाता को पंच नियुक्त किये जाने के संबंध में आपत्ति करने का अधिकारी नहीं होगा, भले ही ऐसा पंच (आर्बिट्रेशन) रायपुर विकास प्राधिकरण का कोई अधिकारी ही क्यों न हो।
34. अन्य जानकारी रायपुर विकास प्राधिकरण कार्यालय से कार्यालयीन अवधि में प्राप्त की जा सकती है तथा मोबाईल नंबर 82230-88099 एवं 77730-99888
35. आवेदनों के लिये उपलब्ध भूखंडो का अभिन्यास में अवलोकन कमल विहार योजना स्थित स्थल कार्यालय में किया जा सकता है तथा मोबाईल नंबर 93028-09139, एवं 93028-09141 पर भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
रायपुर विकास प्राधिकरण,  
रायपुर (छ.ग.)

28-Feb-2018

कमल विहार योजना में •18-April-2018 (Wednesday) को •आबंटन •के•  
लिए उपलब्ध भूखण्ड लॉटरी हेतु 92 भूखण्डों की तालिका

क्रं.	सेक्टर	भूखण्ड की स्थिति				भूखण्डों की अनुमानित क्षेत्रफल वर्गफुट	भूखण्ड मूल्य (लीज होल्ड) 1472 (<2000) – 1402 रु (>2000) प्रति वर्गफुट	भूखण्ड मूल्य (फी होल्ड) 1781 (<2000) – 1696 रु (>2000) प्रति वर्गफुट	पंजीयन शुल्क (10 प्रतिष्ठत)
		आरक्षण	भूखण्ड क्रमांक	दिशा	स्थिति				
1	1	GEN	E-113	S		645.83	INR 9,50,668	INR 11,50,230	INR 95,070
2	1	GEN	C-98D			776.08	INR 11,42,390	INR 13,82,198	INR 1,14,240
3	1	GEN	E-123	S		841.63	INR 12,38,878	INR 14,98,942	INR 1,23,890
4	1	GEN	E-123a	S		841.63	INR 12,38,878	INR 14,98,942	INR 1,23,890
5	1	GEN	E-124a	S		841.63	INR 12,38,878	INR 14,98,942	INR 1,23,890
6	1	GEN	E-124b	S		841.63	INR 12,38,878	INR 14,98,942	INR 1,23,890
7	1	GEN	E-125	S		841.63	INR 12,38,878	INR 14,98,942	INR 1,23,890
8	11B	GEN	G8i,G8j	W		1446.67	INR 21,29,496	INR 25,76,516	INR 2,12,950
9	11B	GEN	G8q,G8r	E		1446.67	INR 21,29,496	INR 25,76,516	INR 2,12,950
10	11B	GEN	A-45	N		1483.59	INR 21,83,844	INR 26,42,274	INR 2,18,380
11	1	GEN	A-157,158	SE	C	1794.56	INR 26,41,592	INR 31,96,111	INR 2,64,160
12	1	GEN	A-159,160	S		1794.56	INR 26,41,592	INR 31,96,111	INR 2,64,160
13	11B	GEN	A-44	N		1814.8	INR 26,71,386	INR 32,32,159	INR 2,67,140
14	14B	GEN	A-43	NE		2260.42	INR 31,69,107	INR 38,33,671	INR 3,16,910
15	14B	GEN	A-44	NE		2260.42	INR 31,69,107	INR 38,33,671	INR 3,16,910
16	14B	GEN	A-47	NE		2260.42	INR 31,69,107	INR 38,33,671	INR 3,16,910
17	14B	GEN	A-48	NE		2260.42	INR 31,69,107	INR 38,33,671	INR 3,16,910
18	14B	GEN	A-42	NE		2337.92	INR 32,77,763	INR 39,65,111	INR 3,27,780
19	14B	GEN	A-49	NE		2523.06	INR 35,37,328	INR 42,79,107	INR 3,53,730
20	11A	GEN	D-19	NE	CR	2583.34	INR 36,21,843	INR 43,81,345	INR 3,62,180
21	11A	GEN	D-1	SW	CR	2607.77	INR 36,56,094	INR 44,22,778	INR 3,65,610
22	8B	GEN	B-51	S	-	2625.85	INR 36,81,446	INR 44,53,447	INR 3,68,150
23	14A	GEN	B-11A	S		2712.5	INR 38,02,925	INR 46,00,400	INR 3,80,290
24	14A	GEN	B-12	S		2712.5	INR 38,02,925	INR 46,00,400	INR 3,80,290
25	1	GEN	C-174	E		2720.58	INR 38,14,247	INR 46,14,096	INR 3,81,420
26	11A	GEN	D-27			2786.78	INR 39,07,066	INR 47,26,379	INR 3,90,710
27	14A	GEN	B-11	S		2801.52	INR 39,27,732	INR 47,51,378	INR 3,92,770
28	4	GEN	C-35c	S	-	2841.67	INR 39,84,021	INR 48,19,472	INR 3,98,400
29	1	GEN	D-31	SW	CGR	2914	INR 40,85,428	INR 49,42,144	INR 4,08,540
30	1	GEN	E-65	S		2973.42	INR 41,68,734	INR 50,42,920	INR 4,16,870
31	11A	GEN	C-26B	S	G	3358.34	INR 47,08,388	INR 56,95,739	INR 4,70,840
32	4	GEN	B-31A	S		3778.13	INR 52,96,937	INR 64,07,707	INR 5,29,700

33	11A	GEN	C-174a	SE		3813.76	INR 53,46,892	INR 64,68,137	INR 5,34,690
34	4	GEN	C-25A	S	G	3860.47	INR 54,12,379	INR 65,47,357	INR 5,41,240
35	11A	GEN	B-23	W	G	3875.01	INR 54,32,765	INR 65,72,017	INR 5,43,280
36	13	GEN	D-17	S		3907.19	INR 54,77,881	INR 66,26,594	INR 5,47,790
37	14A	GEN	B-13	S		3917	INR 54,91,634	INR 66,43,232	INR 5,49,160
38	11A	GEN	C-6	S	-	3955.73	INR 55,45,938	INR 67,08,924	INR 5,54,600
39	2	GEN	B-54b	S	R	4019.89	INR 56,35,886	INR 68,17,733	INR 5,63,590
40	10	GEN	B-196	E	G	4252.28	INR 59,61,697	INR 72,11,867	INR 5,96,170
41	4	GEN	C-59	N		4255.62	INR 59,66,380	INR 72,17,532	INR 5,96,640
42	1	GEN	C-6	S	R	4394.9	INR 61,61,650	INR 74,53,751	INR 6,16,170
43	1	GEN	C-6a	S	R	4394.9	INR 61,61,650	INR 74,53,751	INR 6,16,170
44	1	GEN	C-7	S	R	4394.9	INR 61,61,650	INR 74,53,751	INR 6,16,170
45	12	GEN	B-29	S		4434.41	INR 62,17,043	INR 75,20,759	INR 6,21,700
46	11B	GEN	G-25	S		4503.62	INR 63,14,069	INR 76,38,132	INR 6,31,410
47	11B	GEN	G-24	S	G	4536.45	INR 63,60,097	INR 76,93,812	INR 6,36,010
48	11A	GEN	C-4	ES	CR	4582.52	INR 64,24,694	INR 77,71,954	INR 6,42,470
49	12	GEN	D-94	E	GR	4604.8	INR 64,55,925	INR 78,09,735	INR 6,45,590
50	7A,	GEN	A-15	S	G	4643.44	INR 65,10,103	INR 78,75,274	INR 6,51,010
51	4	GEN	D-36	SW	C	4685.418	INR 65,68,956	INR 79,46,469	INR 6,56,896
52	4	GEN	D-37	W		4685.418	INR 65,68,956	INR 79,46,469	INR 6,56,896
53	11A	GEN	B-11	SW	CGR	4796.4	INR 67,24,553	INR 81,34,694	INR 6,72,460
54	1	GEN	B-62	N		4843.76	INR 67,90,952	INR 82,15,017	INR 6,79,100
55	8B	GEN	A-12	N		4843.76	INR 67,90,952	INR 82,15,017	INR 6,79,100
56	6	GEN	B-49b	S	G	4971.95	INR 69,70,674	INR 84,32,427	INR 6,97,070
57	1	GEN	D-12	S		4972.92	INR 69,72,036	INR 84,34,075	INR 6,97,200
58	13	GEN	C-57A	N		5053.65	INR 70,85,217	INR 85,70,990	INR 7,08,520
59	11A	GEN	C-196	SE	G	5205.422	INR 72,98,002	INR 88,28,396	INR 7,29,800
60	1	GEN	C-197	E		5328.13	INR 74,70,039	INR 90,36,509	INR 7,47,000
61	1	GEN	C-198	E		5328.13	INR 74,70,039	INR 90,36,509	INR 7,47,000
62	11A	GEN	C-144	NW	RG	5393.98	INR 75,61,645	INR 91,47,325	INR 7,56,160
63	10	<b>GEN</b>	B-60	E	-	5437.92	INR 76,23,967	INR 92,22,716	INR 7,62,400
64	10	<b>GEN</b>	B-60a	E	-	5437.92	INR 76,23,967	INR 92,22,716	INR 7,62,400
65	10	GEN	B-60b	E	-	5437.92	INR 76,23,967	INR 92,22,716	INR 7,62,400
66	12	GEN	D-15	S		5461.82	INR 76,57,472	INR 92,63,247	INR 7,65,750
67	12	<b>GEN</b>	B-84	N	-	5686.57	INR 79,72,569	INR 96,44,420	INR 7,97,260
68	12	<b>GEN</b>	B-85	N	-	5686.57	INR 79,72,569	INR 96,44,420	INR 7,97,260
69	12	GEN	B-86	N	-	5686.57	INR 79,72,569	INR 96,44,420	INR 7,97,260
70	12	GEN	D-20	N		5812.5	INR 81,49,125	INR 98,58,000	INR 8,14,910
71	4	GEN	D-111	S		5818	INR 81,56,836	INR 98,67,328	INR 8,15,680
72	4	GEN	D-3A	W	GR	6012.72	INR 84,29,833	INR 1,01,97,573	INR 8,42,980
73	2	GEN	B-13	S	G	6138.66	INR 86,06,401	INR 1,04,11,167	INR 8,60,640
74	4	GEN	D-41	NW	G	6252.642	INR 87,66,204	INR 1,06,04,481	INR 8,76,620
75	4	GEN	D-42	SE		6252.642	INR 87,66,204	INR 1,06,04,481	INR 8,76,620

76	4	GEN	D-43	NW		6252.642	INR 87,66,204	INR 1,06,04,481	INR 8,76,620
77	4	GEN	D-44	SE		6252.642	INR 87,66,204	INR 1,06,04,481	INR 8,76,620
78	2	GEN	C-24,C-25	W		6328.1	INR 88,71,997	INR 1,07,32,458	INR 8,87,200
79	8B	GEN	B-3	W	G	6405.12	INR 89,79,983	INR 1,08,63,089	INR 8,98,000
80	8B	GEN	B-4	W	-	6405.12	INR 89,79,983	INR 1,08,63,089	INR 8,98,000
81	7A,	GEN	B-1	S	CR	6601.18	INR 92,54,855	INR 1,11,95,601	INR 9,25,490
82	10	GEN	B-37	E	RG	6639.18	INR 93,08,131	INR 1,12,60,049	INR 9,30,820
83	10	GEN	C-30	N	C	6705.91	INR 94,01,685	INR 1,13,73,223	INR 9,40,170
84	6	GEN	A-150	N	R	6724.75	INR 94,28,095	INR 1,14,05,170	INR 9,42,810
85	8A	GEN	D-1	SW	CR	6817.1	INR 95,57,575	INR 1,15,61,802	INR 9,55,760
86	4	GEN	D-45	NE	C	7306.643	INR 1,02,43,913	INR 1,23,92,066	INR 10,24,391
87	11A	GEN	A-26	N		7475.91	INR 1,04,78,422	INR 1,26,75,751	INR 10,47,840
88	4	GEN	A-104	N	R	7856.58	INR 1,10,14,925	INR 1,33,24,760	INR 11,01,490
89	12	GEN	D-19	N		7898.55	INR 1,10,73,767	INR 1,33,95,941	INR 11,07,380
90	4	GEN	D-39	NW	G	7948.925	INR 1,11,44,393	INR 1,34,81,377	INR 11,14,439
91	4	GEN	D-40	SE		7948.925	INR 1,11,44,393	INR 1,34,81,377	INR 11,14,439
92	10	GEN	B-36	E	RG	10209.56	INR 1,43,13,802	INR 1,73,15,412	INR 14,31,380

Area in Sqft		(% Discount)
1	Upto 2000	2%
2	2001-3000	10%
3	3001-5000	12%
4	Above-5001	15%

Direction	
North	N
East	E
West	W
South	S

Terminology		(@1402)
C	Corner	10%
R	any road along any side of plot is 18 m. or more wide	2%
G	any side of plot is garden facing	5%
CGR	Corner, Facing Garden, 18m Wide Road	15%
CG	Corner and Facing Garden	13%
CR	Corner and 18m Wide Road	12%
RG	18m Wide Road and Facing Garden	7%

टीप :— (1) 2000 वर्गफुट तक के भूखण्डों की वर्तमान दर लीज हेतु 1,472/- रूपये एवं फ्री-होल्ड हेतु 1,781/- रूपये प्रति वर्गफुट की दर निर्धारित है।

अन्य जानकारी रायपुर विकास प्राधिकरण कार्यालय से कार्यालयीन अवधि में प्राप्त की जा सकती है। मोबाइल नंबर 82230-88099 एवं 77730-99888